

an>  
Title: Introduction of the Distressed Widows and Single Women (Protection, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2017 .

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यक्ति, अशक्त, उपेक्षित, परित्यक्त और अन-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखभाल, आवास और अन्य सुविधाएँ प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाला आवश्यकता आधारित पुनर्वास और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है ः

"कि व्यक्ति, अशक्त, उपेक्षित, परित्यक्त और अन-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखभाल, आवास और अन्य सुविधाएँ प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाला आवश्यकता आधारित पुनर्वास और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री निशिकान्त दुबे :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित\*\* करता हूँ।

\_\_\_\_\_